

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :-23/15

संस्थापन दिनांक:-02/02/15

फायलिंग नं. 233504000392015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

1. अजय पिता भद्रू दवंडे, उम्र 30 वर्ष
निवासी आरबीआई 19-ए, रेल्वे कॉलोनी,
रेल्वे स्टेशन के सामने बैतूल
थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. बबलू पिता शिवप्रसाद यदुवंशी, उम्र 30 वर्ष
निवासी बस स्टैंड आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 18.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने 04.01.2015 को समय रात 10:30 बजे या उसके लगभग विजय अतुलकर के ढाबा के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी विनोद गोहर को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त बबलू ने फरियादी विनोद गोहर को तलवार जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 04.01.2015 को उसकी बोड़खी स्थित इलेक्ट्रानिक रिपेरिंग की दुकान से रेल्वे कॉलोनी घर तरफ जा रहा था। तभी विजय अतुलकर के घाना के पास उसे बबलू यदुवंशी मिला जिससे उसने उसे उधार दिये तेरह हजार रुपये मांगे तो बबलू एवं अजय ने उसे गंदी गंदी मादरचोद बहनचोद की गाली दी। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त बबलू ने उसे तलवार जैसी वस्तु से दाहिने हाथ के पंजे एवं बांये हाथ की कलाई के पास मारा एवं अजय ने लकड़ी से बांये कान एवं आंख के पास मारपीट किया। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 05/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया।

मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त अजय से एक बांस की लकड़ी एवं अभियुक्त बबलू से एक सब्जी काटने का चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी विनोद गोहर का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 324/34 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.01.2015 को समय रात 10:30 बजे या उसके लगभग विजय अतुलकर के ढाबा के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी विनोद गोहर को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी विनोद गोहर को तलवार जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 विनोद (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि घटना रात 10-11 बजे की बस स्टैंड आमला के पास की है। घटना के समय वह अपने घर जा रहा था तभी बस स्टैंड के पास उसे अभियुक्तगण मिले तथा अभियुक्त बबलू उसे उधार लिये पैसों पर से गाली गलौच करने लगा और वाद विवाद करने लगा। अभियुक्तगण ने मिलकर उसके साथ धक्का मुक्की की थी जिससे वह गिर गया था और उसके हाथ एवं आंख के पास चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन की संपूर्ण घटना का समर्थन नहीं किया है जिस कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना के समय अभियुक्त बबलू ने उसे नुकिली वस्तु से मारा था।

7 साक्षी मो. इरफान (अ.सा.-1) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य द टना दिनांक को पैसों की बात को लेकर वाद विवाद एवं धक्का मुक्की होना प्रमाणित पाया जाता है परंतु युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि द टना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी विनोद गोहर को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियुक्त बबलू ने फरियादी विनोद गोहर को तलवार जैसी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण अजय एवं बबलू को धारा 324/34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 प्रकरण में जप्त शुदा एक बांस की लकड़ी एवं एक सब्जी काटने का चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त शुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)